भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4864
दिनांक 31 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर रोगियों के आंकड़े

4864. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कैंसर रोगियों के आंकड़ों का अनिवार्य संकलन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की ऐसे कौशल उन्नयन कार्यक्रमों को आरंभ करने की योजना है, जो जटिल और बहुस्तरीय चिकित्सा प्रणाली में विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में विशेषकर कैंसर रोगियों के लिए रोगियों की निगरानी तथा उनके उपचार पर केंद्रित हों; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के तहत कैंसर रजिस्ट्रियों के अपने नेटवर्क के माध्यम से कैंसर के मामलों, मृत्यु दर, पैटर्न, प्रवृत्ति और कैंसर के भू-रोगविज्ञानी विवरण से संबंधित डाटा प्रदान करता है। यह नीतियां और कार्यक्रम तैयार और उन्हें लागू करने, कैंसर नियंत्रण कार्यकलापों की निगरानी और मूल्यांकन करने में भी सहायता करता है। कुल 38 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियां और 215 अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियां विद्यमान हैं।

*****